रा.मु.अ.33 4-2000 10 लाख का

APP
Cril

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उप जिला कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

[illegible] बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा T.I. नं० 197/2021 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	9/11/21 पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान–2021 कैम्प ग्राम पंचायत [illegible] में पेश हुई। पक्षकारों में कोई सहमति नहीं हो सकी। आगामी सुनवाई हेतु दिनांक 12/1/22 को पेश हो। उप जिला कलक्टर बांदीकुई (दौसा)	
	12.1.22 पत्रा० पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० [illegible] वकील [illegible] पेश [illegible] 17.1.22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	
	17.1.22 पत्रा० पेश हुई। वकील प्रार्थी [illegible] उप० [illegible] T.I. [illegible] गई। वास्ते [illegible] दि० 19.1.22 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
	19-1-2022 पत्रावली पेश हुई। [illegible] पक्षकार [illegible] उप० प्रार्थी पक्षकार वकील [illegible] प्रार्थी प्रस्तुत [illegible] इस आशय से पेश किया कि [illegible] तहसील बसवा जिला-दौसा के [illegible] 23, 24, 25, 26 किता 4 [illegible] 70 के [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Kumar Meena
Date: 2022.02.21 22:26:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	माफी मन्दिर ठाकुरजी बाद वही	

रकबा 2.36 हे० राजस्व अभिलेखों में खेवट सं० 1 से 8 के खाता में मृतक पूना पुत्र केवट कोम खाती हि 1/4 खेवट सं० 9 ल० 18 के खाता मद मृतक कुदा पुत्र कपूरा खाती 1/4 खेवट सं० 19 ल० 24 के खाता मद रामसुख पुत्र मदू गुजर हि 1/4 खेवट सं० 25 ल० 28 के खाता मद व खेवट सं० 29 के खाता मृतक हरप्यारी पुत्र हरचन्द कोम गुजर हि० 1/4 के खातेदार काश्तकार है उक्त भूमि के खसरा नं० 11/1, 11/2, 12, 15, 13 रहे है जो शुरू से माफी मन्दिर श्री ठाकुरजी नाबालिग बजरिये पुजारी जगन्नाथ पुत्र गणेश ब्राह्मण के नाम दर्ज खातेदारी भूमि रही है जिसको अंकन जमाबंदी सं० 2008 ता 2022 में अकस्मात ही विपक्षीगण ने मिलीभगत कर स्वयं के नाम खातेदारी दर्ज करा ली है। नाम दर्ज खातेदारी होने से माफी मन्दिर ठाकुरजी को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है अतः विपक्षीगण नामान्तरकरण खुलवाने पर आमादा है जिन्हें पाबन्द किया जावे।

प्रार्थीगण वकील को सुनकर प्रार्थना पत्र दिनांक 13.8.21 को आदेशार्थ के अनुसार [illegible] नियमानुसार [illegible] स्थिति कायम [illegible] प्रतिवादीगण [illegible] कर तलबी [illegible] जारी की गई। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर नि० पेश किया कि प्रार्थीगण प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Kumar Meena
Date: 2022.02.21 22:26:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	माफी मंदिर ठाकुरजी [illegible]	

के कथन मनगढन्त है, वादग्रस्त भूमि कभी भी माफी मन्दिर की भूमि नही रही है जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 लागू होने की तारीख को भी मिस अप्रार्थीगण के पूर्वजो के नाम खातेदारी का इन्द्राज था तथा राज० काश्त० अधिनियम 1955 के भी [illegible] जमाबंदी विनय गिरदावरी स० 2009 से 2019 में भी अप्रार्थीगण के पूर्वजो के नाम खातेदारी कोलम में पूर्वजो के कृषक का इन्द्राज दर्ज है तथा कालम माफी पुनर्ग्रहण के बाद काश्तकार स्वतः ही खातेदार काश्तकार हो जाता है विवादित आराजी प्रार्थीगण की कब्जा काश्त खातेदारी भूमि है कभी भी माफी मन्दिर की नही रही है अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की खातेदारी निरस्त कराने का कोई अधिकार नही है, अप्रार्थीगण अनुसूचित जाति के सदस्य है प्रार्थीगण [illegible] है जो [illegible] गांव के प्रभावशाली व्यक्ति है जो बाद की जांच के प्रभावशाली भूमि पर कब्जा आदि में अप्रार्थीगण [illegible] प्रार्थी प्रा० पत्र कराकर कब्जा चाहते है प्रार्थी [illegible] के अप्रार्थीगण है जो [illegible] जमाबंदी स० 2016-19 में कोई [illegible] 2019-2022 मिलान खतौनी, जमाबंदी 2019-2022 विभाग 2023-2026, [illegible] 2009 [illegible] 12, 2013 विनय गिरदावरी [illegible] 2016 [illegible] 244, 2015, 246, 2017 [illegible]

वकील प्रार्थी ने बहस प्रा० पत्र [illegible] माफी मन्दिर की होना मे वादग्रस्त भूमि माफी मन्दिर की होना [illegible] गलत इन्द्राज [illegible] बताया अप्रार्थीगण ने [illegible]

उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Kumar Meena
Date: 2022.02.21 22:26:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हुक्म की ता...
में जारी हुए

खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये है जो
निरस्त किये जावे। तथा अप्रार्थीगण को
ना वाद नियमित पेश किया जावे।
अप्रार्थीगण वकील द्वारा बहस मे
जवाब प्रा० पत्र मे दर्ज तथ्यो को दोहराया
तथा बहस के समर्थन मे न्यायिक RRT 2014(1)174
Manak chand vs Murti shri kunj
Bihari Maharaj decided on 21st oct 2010
एवं न्यायालय राजस्व मण्डल राज० अजमेर
मे निगरानी 2/LR/5440/2013/पाली श्रीमती
पुस्तक कंवर आदि बनाम श्रीमती राम कंवरी आदि,
दिनांक 4-9-2019 एवं राज० हाई कोर्ट (जयपुर बेंच)
SB civil writ Petition no 2722 of 1990
& 660 of 1989 decided on 23-2-2000
Gauri shankar s/o Lalu shri Narayan vs
vs the stat of Rajasthan & ors and
Lakhi s/o shri Devi singh vs
the stat of Rajasthan प्रस्तुत किये तथा
प्रस्तुत जवाब प्रा० पत्र मे वर्णित तथ्यो की
ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। हमने
प्रार्थी व अप्रार्थीगण वकील की बहस
पर उनके द्वारा प्रस्तुत पत्रावली के अवलोकन
मे प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन
किया। प्रकरण मे वर्णित विवादित आराजी
बाबत अप्रार्थीगण वकील द्वारा प्रस्तुत
नजीरे माननीय न्यायालय रा० म० अजमेर
राज० हाई कोर्ट ओर [illegible] तथ्यो
भिन्न प्रकट है। [illegible] अप्रार्थीगण
के हक मे [illegible] रिकार्ड
जिसका उपभोग [illegible] उपयोग
उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है जो 2 प्रस्तुत
दा० अधिनियम 1952 लागू होने, कास्तकारी अधिनियम
1955 के अधिनियम के पूर्व खातेदार काश्तकार रहे हैं

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Kumar Meena
Date: 2022.02.21 22:26:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(नियम 26)

जज अदालत उप जिला कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

माफी मन्दिर श्री ठाकुरजी महाराज बनाम बद्री पुत्र राम ... [illegible]

किस्म मुकदमा T.I नं० 197/2021 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थीगण प्रा० पत्र अ० नि० में वर्णित कथना मानो से अप्रार्थीगण को प्राप्त खातेदारी काश्तकारी अधिकारों का विधिवत उपयोग उपभोग किये जाने से वंचित रखना उनके अधिकारों का हनन होगा। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीर/फैसला के विरोध में ऐसा कोई प्रमाणित दस्तावेज/नजीर पेश नही की कि अप्रार्थीगण द्वारा गलत फर्जी तरीके से मन्दिर माफी भूमि का स्वयं के नाम दर्ज करा ली। इस तरह प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया केस सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के सिद्धांत को अपने पक्ष में पूर्णतया साबित करने में असफल रहे। अतः उपरोक्त विवेचन से प्रकरण में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 13-08-2021 वेकेट किया जाता है तथा प्रार्थीगण प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण बाबत ग्राम रूपाडावास [illegible] कित्ता 4 के खाता नं० नया 709 [illegible] रकबा 2.36 हे० [illegible] खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसलशुदा बाद [illegible] तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया (नीरज कुमार मीना) उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Kumar Meena
Date: 2022.02.21 22:26:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner